उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–1/1/92टी0सी0/का–2/2007
लखनऊ दिनांक, 25 जनवरी, 2007

कार्यालय–ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजकीय कार्य के प्रति अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करने एवं विशिष्ट योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिए राज्य पुरस्कार योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. पुरस्कार हेतु विचार के लिए निम्नलिखित मापदण्ड होंगे :–

(अ) ऐसे विशिष्ट एवं उत्कृष्ट कार्य जिनसे सीधा तत्काल वित्तीय लाभ/आय वृद्धि या वित्तीय बचत प्रदेश सरकार को हुई हो, ऐसे विभागों के कर्मचारी/अधिकारी जो अपने सामान्य कार्य के रूप में कर निर्धारण और कर वसूली करते हैं या बचत करवाते हैं, इसमें तभी शामिल होंगे जबकि उनकी उपलब्धि उनके सामान्य कार्य के अलावा हो या अलग प्रकृति के हों क्योंकि कर संसाधन विभागों जैसे व्यापार कर, राष्ट्रीय बचत आदि में सामान्य अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार की व्यवस्था अलग से है।

(ब) ऐसा इनोवेटिव (Innovative) कार्य जिससे राजकीय कार्य की गुणवत्ता में यथेष्ठ सुधार आया हो।

(स) ऐसा विशिष्ट प्रकृति का उत्कृष्ट/उल्लेखनीय राजकीय कार्य जो सामान्य प्रकृति के कार्य से भिन्न हो।

3. प्रदेश में विभागों की संख्या एवं आकार को देखते हुए समान कार्य प्रकृति के विभागों को एक साथ रखते हुए 09 सेक्टर बनाये जायेंगें। सेक्टर नियमानुसार होंगे :–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा
(2) औद्योगिक उत्पादन आयुक्त शाखा
(3)सामाजिक सेवा (समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/विकलांग कल्याण/सैनिक कल्याण एवं श्रम)।
(4) शिक्षा सेक्टर (शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)।

(5) चिकित्सा स्वास्थ्य सेक्टर (चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा)।
(6) इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर (लोक निर्माण विभाग, सिचाई, परिवहन, ऊर्जा)।
(7) सूचना सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन, क्रीड़ा सेक्टर।
(8) नियोजन, संस्थागत वित्त,वित्त एवं स्थानीय निकाय सेक्टर।
(9) सामान्य प्रशासन सेक्टर (सचिवालय प्रशासन, कार्मिक, नियुक्ति, राजस्व, आबकारी, खाद्य एवं रसद तथा अन्य अवशेष विभाग)।

4. प्रत्येक सेक्टर की एक मूल्यांकन समिति होगी जिसमें सेक्टर में सम्मिलित सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे। सेक्टर के विभागों के वरिष्ठतम प्रमुख सचिव/सचिव, समिति के अध्यक्ष होंगे। अस्तु सेक्टर स्तरीय समिति संबंधी कार्य अध्यक्ष के अधीनस्थ विभाग के शाखा स्तरीय अधिष्ठान संबंधी अनुभाग में सम्पादित किया जायेगा।

5. सेक्टर स्तरीय मूल्यांकन समितियों की संस्तुति पर अंतिम रूप से विचार करने एवं निर्णय लेने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होगी। उच्च स्तरीय समिति में सेक्टर स्तरीय मूल्यांकन समितियों के अध्यक्ष, सदस्य होंगे।

6. सेक्टर स्तरीय समितियां, अपने स्तर पर प्रस्तर–2 में उल्लिखित मापदण्ड (नार्म्स) के आधार पर नामांकन (नोमिनेशन) प्रत्येक वर्ष दो बार जनवरी एवं जुलाई माह में यथाशीघ्र प्राप्त कर लेंगी। नामांकन के साथ विशिष्ट/उल्लेखनीय कार्य का स्पष्ट विवरण प्राप्त कर लिया जायेगा, तत्पश्चात उनका मूल्यांकन कर अधिकतम तीन (3) नामों की संस्तुतियां मुख्य सचिव के स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति को भेज देगी, इर संस्तुत नामांकन के संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण (Citation) भी भेजना आवश्यक होगा व स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा कि संस्तुत कर्मचारी/अधिकारी ने उल्लेखनीय कार्य किया है व उसका स्पष्ट प्रभाव हुआ है।

7. प्राप्त संस्तुतियों पर मापदण्ड (नार्म्स) के आधार पर मुख्य सचिव की उच्च स्तरीय समिति विचार करेगी व प्रत्येक सेक्टर से अधिकतम दो नामांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को अंतिम रूप से चयनित करेगी तथा मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

8. सेक्टर स्तरीय समितियों तथा उच्च स्तरीय समिति के लिए प्रत्येक सेक्टर से तीन–तीन नामों की संस्तुतियां करने तथा प्रत्येक सेक्टर से दो–दो

अंतिम चयन करने की बाध्यता नहीं होगी। नामांकनों एवं अंतिम चयन की संख्या इस पर निर्भर करेगी कि निर्धारित मापदण्ड (नार्म्स) के आधार पर कितने कर्मी पुरस्कार के सर्वथा योग्य पाये जाते हैं, लेकिन यह संख्या उक्त उल्लिखित तीन-तीन व दो-दो से अधिक नहीं होगी। यदि किसी सेक्टर में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नामांकन योग्य न पाया जाय तो सेक्टर स्तरीय समिति तदनुसार उच्च स्तरीय समिति को सूचित करेगी। साथ ही यह ध्यान रखा जाय कि जबरदस्ती पुरस्कार देने की प्रवृत्ति कदापि न अपनायी जाय।

9. पुरस्कार की राशि रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र) होगी व पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा।

10. पुरस्कार का वितरण एक समारोह में होगा। जहां तक संभव हो स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर पुरस्कार वितरित किये जायेंगे।

पूर्व में निर्गत राज्य पुरस्कार योजना संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/92टी0सी0 /का-2/98 दिनांक 03 फरवरी, 1999 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

(उमेश सिन्हा)
सचिव।

संख्या-1/1/92टी0सी0/का-2/2007 तददिनांक

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम।
4. सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. नियुक्ति अनुभाग-6 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया यथा समय राज्य पुरस्कार हेतु बजट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0एन0 यादव)
विशेष सचिव।